को कम्पनियों द्वारा अपनी लेखा बहियों में नहीं किया जाता है तो लेखा परीक्षक को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत उसकी रिपोर्ट करना अपेक्षित है तथा आवश्यक कार्यवाही इस मामले में की जाती है ।

बिहार के महाडाकपाल द्वारा आयोजित वार्षिक बैठक

1724. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सर्किल के महाडाकपाल औपचारिक वार्षिक बैठकों का आयोजन इस प्रकार से करते हैं कि सदस्यों को समय पर सूचना नहीं दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप संसद के 76 सदस्यों में से केवल 5–6 सदस्य ही बैठक में शामिल हो पाते हैं, यदि हां, तो इस युक्ति चालन के पीछ क्या इरादा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सदस्यों की बैठक की तारीख के संबंध में निर्धारित समय से काफी पहले सूचित किये जाने के लिये अनेक बार लिखित रूप में अनुरोध करने के बावजूद भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) जी नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ;

Variation in prices of crude oil

1725. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of PETROLEUM be pleased to state:

(a) the cost at which crude oil is produced in the country an3 imported from abroad, separately, per barrel;

(b) the refining cost of crude oil per barrel;

(c) the amount of excise duties and other taxes levied per barrel on indigenous **and** imported crude oil; and

(d) whether there is any proposal to reduce the price at which petrol is available to the consumers; if so, thy detail thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM (SHRI NAWAL KISHORE SHARMA): (a) The current average price (inclusive of all duties) of indigenous crude is Rs 1382/MT and of Imported crude is Rs. 3152/MT.

(h) The current average all India refining cost is about Rs. 18.50/bbl.

(c) The amount of excise duties and other taxes levied per metria tonne on indigenous and imported crude oil are as under: (one metric tonne equals about 7.3 "barrels)

	Rs./MT
Indigenous	
Royalty	61
Cess	30 00
Central Sales Tax . . .	
Imported	
Auxiliary duty Customes duty . . .	300
(10% ad valorem) . . .	248

(d) No Sir.

औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र का सकल देशीय उत्पाद में योगदान

1726. **श्री सत्यपाल मलिक**: क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र का कुल देशीय उत्पाद में योगदान कितने प्रतिशत रहा है ; और

(ख) यह प्रतिशत बाकी एशियाई देशों के मुकाबले में कितना है ?